(3)

न्यायालय :— मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क.   /2018 निगरानी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/2104

1. मुस. शीला वेबा सुरेश कुमार सोनी
2. कु. उपदेश
3. कु. मनीषा
4. कु. कीर्ति
5. कु. ज्योति

} पुत्रियॉ स्व. सुरेश कुमार सोनी

6. दीपक कुमार पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सोनी निवासीगण वार्ड क. 6 नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.

——— आवेदकगण

श्री एस. पी. धाकड़ अभि. द्वारा आज दि. 31-3-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4.4.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-3-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. जगदीश प्रसाद पुत्र लाला राम सोनी
2. मुस. शांतिबाई वेबा सीताराम घोसी
3. प्रेमनारायण
4. श्याम

} पुत्रगण सीताराम घोसी

5. ममता
6. भूरी
7. किरण

} पुत्रीगण सीताराम घोसी

8. मुस. राधा वेबा ब्रजलाल घोसी
9. भगवान लाल पुत्र ब्रजलाल घोसी
10. मुस. प्रेमबाई वेबा प्यारेलाल
11. राजू
12. अशोक

} पुत्रगण प्यारेलाल

13. कमला
14. मिथिला

} पुत्रीगण प्यारेलाल

15. लक्ष्मीनारायण पुत्र घन्सू घोसी
16. मुस. मेवा वेबा पातीराम
17. सुमित
18. सुरेश
19. हेमंत
20. पवन

} पुत्रगण पातीराम घोसी

निवासीगण ग्राम नरवर तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदकगण

31.3.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. श्रीमान तहसीलदार महोदय तह. नरवर जिला शिवपुरी के प्र.क. 41/अ—27/17—18 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/2104 जिला - शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-4-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । उन्हें ग्राह्या एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बंटवारा आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं तथा प्रकरण धारा 32 एवं 52 पर बहस हेतु प्रकरण 17-4-18 को नियत किया है जो उचित कार्यवाही है किंतु बाद में भिन्न स्याही से अन्य आदेश तक उप पंजीयक को भूमि का विक्रयपत्र न करने हेतु पत्र जारी करने का लेख किया है जो प्रथम दृष्टया विधिसंगत नहीं है क्योंकि संहिता के प्रावधानों के तहत तीन माह या आगामी पेशी से अधिक स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा जहां तक अन्य आदेश तक उप पंजीयक को विक्रयपत्र न करने संबंधी निर्देश का प्रश्न है, उस सीमा तक उनका आदेश निरस्त किया जाता है तथा उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि उनके समक्ष प्रस्तुत बटवारा प्रकरण का निराकरण वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	